न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या 13/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांकः 11.1..2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

हरि प्रसाद आत्मज कूका जाति रेबारी निवासी शिवनगर ढाणी, तहसील खानपुर जिला झालावाड–राज0।
...अपीलाट

बनाम

1 इन्द्राबाई पत्नी स्व0 दौलतराम जाति रेबारी निवासी हाल शिवनगर ढाणी तहसील खानपुर जिला झालावाड।
2 ग्राम पंचायत शिवनगर ढाणी, तहसील खानपुर जिला झालावाड।
3 तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बृजराज कुमार मंत्री अभिभाषक अपीलाट
श्री रूपेश कुमार श्रृंगी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम–1

निर्णय

दिनांक 31.7.2018

अपीलार्थी हरिप्रसाद ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 56/17/अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान इन्द्राबाई बनाम हरिप्रसाद वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि इन्द्राबाई रेस्पो0 कम–1 ने नायब तहसीलदार सारोला कंला द्वारा वसीयत के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं0 541 दिनांक 11.2.2017 ग्राम शिवनगर ढाणी से व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि उसके पति स्व0 दौलतराम को हरिप्रसाद ने वृद्धवस्था की पेंशन चालू करवाने का बहाना बनाकर उप पंजीयक कार्यालय मे ले जाकर विवादित आराजी कुल 11 किता रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा तथा ख0 नं0 120 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा मे अपने सम्पूर्ण हिस्से की झूठी वसीयत करवाली जिसके अनुसार उक्त नामा0 खोला गया है जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 13.10.2017 को अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नामान्तरकरण सं0 541 ग्राम शिवनगरढाणी निरस्त कर प्रकरण

अति० स० आयु०
कोटा

तथ्यात्मक जांच कर पुनः निर्णय पारित करने की कार्यवाही नियमानुसार करने हेतु नायब तहसीलदार सारोलाकंला को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट हरिप्रसाद द्वारा धारा 76 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय मे मान्यता प्राप्त संचिका के सिद्धांतो के विपरीत है क्योंकि नामा0 सं0 541 रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसका बनावटी एवं कूटरचित होने का किसी प्रकार कोई प्रश्न नही होता दौलतराम ने अपने जीवनकाल मे रजिस्टर्ड वसीयत अपीलांट के पक्ष मे आलेखित की थी जो गवाहो से प्रमाणित एवं उप पंजीयक कार्यालय द्वारा तस्दीक की गई है जिसके आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा इन्तकाल सही तस्दीक किया गया है। कानूनन किसी भी व्यक्ति को अपने हिस्से की वसीयत करने का कानूनी रूप से पूर्ण अधिकार प्राप्त है इन तथ्यो को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने मे कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18.12.2017 को बताने पर हुई। देरी क्षम्य हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रा0 पत्र के साथ अपील पेश है। अतः विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.10.2017 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नामान्तरकरण सं0 541 नायब तहसीलदार द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार तस्दीक किया गया है। कानूनन किसी भी व्यक्ति को अपने हिस्से की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार है। राजस्व न्यायालय को वसीयत की जांच करने का अधिकार नही है। रेस्पो0 नें वसीयत को सिविल कोर्ट मे चेलेन्ज किया हुवा है जिसमे निर्णय हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो पर गौर नही किया। बहस मे आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी विवादित नामा0 की नकल 7.3.2017 को जारी हुई है अपील दिनांक 6.6.2017 को पेश की गई है। विलम्ब के संबध मे किया गया कथन न्यायोचित नही था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बिन्दू को कन्सीडर कर नामा0 निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमांड करने मे त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2006–07 पेज 59 का न्यायिक उद्धरण पेश कर अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे बताया कि दौलतराम रेस्पो0 क्रम–1 का पति है जिसके कोई संतान नही है। हरिप्रसाद ने दौलतराम को बहकावे मे लेकर अपने पक्ष मे कूटरचित वसीयत दिनांक 19.8.2015 को निष्पादित करवाली जिसके आधार पर ना0 तहसीलदार सारोंला द्वारा नामा0 सं0 541 तस्दीक किया गया। नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व दौलतराम की पत्नी को नोटिस व सुनवाई का अवसर नही दिया गया। वसीयत को गवाहान से प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। वसीयत को प्रमाणित नही करवाया गया। मैने वसीयत को सिविल कोर्ट मे चेलेन्ज किया है। उक्त इन्तकाल रेस्पो0 इन्द्राबाई पत्नि दौलतराम की अनुपस्थिति मे तस्दीक किया गया। जानकारी की तिथी से अधीनस्थ न्यायालय मे अपील अवधि मध्य पेश की थी डिले कन्डोन हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया था। अपने तर्क के समर्थन मे आरआरटी 2009 (1) पेज 685 का न्यायिक उद्धरण पेश कर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपील पत्रावली तथा प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अतः प्रकरण का गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

राज० म० आयु०
कोटा

अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ डिले कन्डोन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर जानकारी की तिथी 18.12..2017 से अपील को अवधि मध्य होना वर्णित किया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ मे वर्णित तथ्यो के खण्डन मे रेस्पो0 कम–1 द्वारा कोई प्रत्युत्तर पेश नही किया है। अतः शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रवली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। अतः अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 जेरअपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 13.10.17 का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सं0 2070 के अवलोकन से विवादित आराजी मृतक दौलतराम की पुश्तैनी आराजी होना प्रकट होता है। विवादित आराजी मृतक दौलतराम की पुश्तेनी थी स्वयं द्वारा अर्जित नही की थी। ऐसी स्थिति मे वसीयत करने करने का उसको कोई अधिकार प्राप्त नही था प्रथम अपीलीय न्यायालय का उक्त अभिमत विधिसम्मत होना प्रकट होता है। अपीलांट एवं रेस्पो0 कम–1 के मध्य मुख्यतया विवाद मृतक दौलतराम द्वारा अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित वसीयत को लेकर है जिसके आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा नामा0 सं0 541 तस्दीक किया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भूमि मृतक दौलतराम की स्वअर्जित नही होकर पुश्तैनी होने से वसीयत करने का दौलतराम को अधिकार नही होना मानते हुये रेस्पो0 कम–1 इन्द्राबाई द्वारा प्रस्तुत अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार कर नामा0 सं0 541 को निरस्त कर प्रकरण मे तथ्यात्मक जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे रेस्पो0 कम–1 इन्द्राबाई द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के साथ दस्तावेजात, प्रमाणित प्रति कार्यवाही धारा 107, 151 सीआरपीसी सरकार बनाम हरिप्रसाद दिनांक 9.6.17, प्रमाणित प्रतिलिपी शिकायत दिनांक 20.5.2017 पुलिस अधीक्षक झालावाड, प्रमाणित प्रतिलिपी वाद पत्र एंव आदेशिका न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0 ख0 खानपुर जिला झालावाड पेश की गई जो अपील प्रकरण के निर्णय मे सहायक होने से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायहित मे स्वीकार कर दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते है। प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपी वाद पत्र एंव आदेशिका न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0 ख0 खानपुर जिला झालावाड के अवलोकन से रेस्पो0 कम–1 इन्द्राबाई द्वारा वसीयत को सिविल न्यायालय मे चेलेन्ज किये जाने की पुष्टि होती है ऐसी स्थिति मे पक्षकारान के हितो का निर्धारण उक्त वाद प्रकरण मे माननीय सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना है। नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही मे पक्षकारो के स्वत्व का निर्धारण नही किया जाता है अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार प्रश्नगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण चस्पा नही होते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 31.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा